



e/; i n s' k 0; kol kf; d i j h { k k e . My] H k s i k y

चयन भवन, मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल – 462011

फोन नं. 0755-2578801, 02, 03, 04 फैक्स : 0755-2550498

ई-मेल : vyapam@mp.nic.in वेबसाइट : www.vyapam.nic.in

e/; i n s' k ' k l u] i f j o g u f o H k k x d s v a r x r d k ; j r f y f i d o x h z ; d e p k f j ; k a l s
i f j o g u m i f u j h { k d i n i j l h f e r f o H k k x h ; p ; u i j h { k k & 2 0 1 4

i j h { k k l p k y u , o a H k r h z f u ; e

ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	04.07.2015
ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि	03.08.2015
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सशोधन करने की प्रारम्भ तिथि	04.07.2015
आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में सशोधन करने की अंतिम तिथि	08.08.2015
परीक्षा दिनांक व दिन	23.08.2015 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	कोई शुल्क नहीं
ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क रु. 70/- देय होगा।	

l e ; l k j . k h

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियों भरने का समय	प्रश्न-पत्र वितरण समय	प्रश्न-पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
23.08.2015 (रविवार) प्रथम प्रश्न पत्र	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से 12:15 बजे तक (2:00 घंटे)
23.08.2015 (रविवार) द्वितीय प्रश्न पत्र	दोपहर 02:00 बजे से	दोपहर 02:00 बजे से	दोपहर 02:00 से 02:10 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 02:10 बजे	दोपहर 02:10 से 02:15 बजे तक (05 मिनट)	दोपहर 02:15 से 04:15 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :-

- परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट पश्चात तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, कैल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त/जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
- परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र के साथ साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:- मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ज्ञायविंग लायसेंस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
- मण्डल द्वारा जारी प्रवेश-पत्र (टी0ए0सी0) के द्वितीय भाग में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में प्रयोग किया गया फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नहीं होगी।

e/; i n's k 0; kol kf; d ij h{kk e.My] Hkksi ky

e/; i n's k 'kkl u] ifjogu foHkkx ds varx'r dk; j' r fyfi d oxh'z; de'pkfj; ka l s
ifjogu mi fujh{k d in ij l hfer foHkkxh; p; u ij h{kk&2014

fo" k; & l ph

Øa	fooj .k	i "B Øa
1.	v/; k; &1 & परिवहन विभाग, भोपाल के विभागीय चयन नियम	3-6
2.	v/; k; &2 – मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश	7-13
3.	v/; k; &3 – विस्तृत पाठ्यक्रम	14
4.	i k: i&1 – प्रश्न-पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन	15
5.	i k: lk&2 & आदर्श उत्तरों पर आपत्ति हेतु अभ्यावेदन	16

v/; k; &1

foHkkxh; p; u fu; e

1-1 p; u l cakh vupns k %

परिवहन विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 01-11/2011/आठ दिनांक 26.07.2014, दिनांक 12.09.2014, दिनांक 25.10.2014 एवं दिनांक 10.12.2014 के अनुसार परिवहन विभाग में कार्यरत लिपिकीय कर्मचारियों से परिवहन उप निरीक्षक के सीमित विभागीय चयन परीक्षा-2014 के लिए आवेदन कर रहे सभी विभागीय कर्मचारियों पर यह नियम/निर्देश लागू होंगे। inka dh l a; k ea vko'; drkuq kj deh ; k of) dh tk l drh gA

1-2 i fj Hkk"kk, W %&

- (अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।
- (ब) मण्डल से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है।
- (स) म.प्र. से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

1-3 fjDr inka dh rkfydk %&

fyfi dh; depkfj; ka ds fu; fer inks ij dk; jr depkfj; ka gsrq ifjogu mi fujh{kd ds fjDr inka dk fooj .k%&

I -Ø-	Js kh	vksi u	efgyk	; ksx
01	अनारक्षित	07	03	10
02	अनुसूचित जाति	02	01	03
03	अनुसूचित जनजाति	03	01	04
04	अन्य पिछड़ा वर्ग	02	01	03
; ksx%&		14	06	20

ukV%& fu% kDrtu ds fy; s 01 in vkjff{kr gs bl in ds fy; s vLFkckf/kr@ Jo.kckf/kr@ nf"Vckf/kr ea l sfdl h Hkh izdkj dk fu% kDrtu p; fur fd; k tk l dsxk A ftl Js kh dk fu% kDrtu bu inka ds fy; s p; fur gksxk ml s ml h Js kh gsrq ekl; fd; k tkoxk A ; g in iR; d Js kh dh fcuk oxl@vksi u fjfDr; ka ea l ekfgr gs A

1-4 i nuke orueku %&

i nuke	orueku
परिवहन उप निरीक्षक	रूपये 5200-20200+2800 ग्रेड-पे

1-5 U; ure 'k\$kf.kd vgrk %&

परिवहन विभाग में परिवहन आयुक्त के कार्यालय में तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में किसी लिपिकवर्गीय पद पर कम से कम पांच वर्ष से स्थायी अथवा स्थानापन्न हैसियत में कार्य कर रहे हो।
एवं
जिसने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तथा सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो।

- 1- आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। इसके बाद किसी भी दिनांक को अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
- 2- मान्यताप्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण पत्र नियुक्ति के समय विभाग में प्रस्तुत करना होगा।

1-6 vk; q l hek , oa 'kkj hfjd vgrk dk fooj .k%

1-6-1 vk; q l hek

आयुसीमा 01 जनवरी 2014 का 50 वर्ष से अधिक न हो, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए अधिकतम सीमा 55 वर्ष होगी।

1-6-2 'kkj hfjd vgrk

- (क) सामान्य वर्ग के लिए ऊंचाई 1.68 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए तथा सीने का माप बिना फुलाए 81 से.मी. तथा फुलाकर 86 से.मी. से कम नहीं होना चाहिए।
- (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए ऊंचाई 1.60 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए तथा सीने का माप बिना फुलाए 76 से.मी. तथा फुलाकर 81 से.मी. से कम नहीं होना चाहिए।
- (ग) सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिये ऊंचाई 1.58 मीटर से कम नहीं होना चाहिये। (सीने का माप महिलाओं के लिये लागू नहीं)
- (घ) सामान्य दृष्टि (चश्मे या चश्मे के बिना) होना चाहिए तथा उसे वर्धान्ध (कलर ब्लाइंड) नहीं होना चाहिए, उसमें विभिन्न रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए।
- (च) आवेदक को नियुक्ति के समय संबंधित जिले के सिविल सर्जन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत उल्लेखित अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1-7 dk; kly; hu fooj .k%

प्रत्येक आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में निम्नानुसार जानकारी अनिवार्यतः अंकित की जावेगी :-

- (क) वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम एवं पता।
- (ख) विभाग में प्रथम नियुक्ति का पद एवं दिनांक
- (ग) वर्तमान में धारित पद एवं उसमें पदस्थ होने का दिनांक

1-8 p; u dk vk/kkj %

मूल्यांकन	<p>1. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु परीक्षा का आयोजन कर अभ्यर्थियों को प्राप्त अंक की प्रावीण्य सूची परिवहन विभाग को सौपेगा।</p> <p>2. परिवहन विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष की चरित्रावली के लिए निर्धारित 40 अंक में से निम्नलिखित आधार पर अंक दिये जाएंगे:-</p> <table> <tr> <td>उत्कृष्ट</td> <td>40 अंक</td> </tr> <tr> <td>बहुत अच्छा</td> <td>36 अंक</td> </tr> <tr> <td>अच्छा</td> <td>30 अंक</td> </tr> <tr> <td>साधारण</td> <td>20 अंक</td> </tr> </table>	उत्कृष्ट	40 अंक	बहुत अच्छा	36 अंक	अच्छा	30 अंक	साधारण	20 अंक
उत्कृष्ट	40 अंक								
बहुत अच्छा	36 अंक								
अच्छा	30 अंक								
साधारण	20 अंक								
चयन सूची	<p>प्रत्येक कर्मचारियों की पाच वर्ष की चरित्रावली के आधार पर कुल 200 अंको में से दिए गए अंको को, उनके द्वारा परीक्षा में अभिप्राप्त अंको से योग कर अंतिम परीक्षा परिणाम परिवहन विभाग द्वारा घोषित किया जायेगा।</p> <p>परीक्षा तथा चरित्रावली के मूल्यांकन में अभिप्राप्त कुल अंको के अनुसार चयन की अंतिम सूची तैयार की जाएगी। लिपिकवर्गीय सेवा के कोटे के पद के विरुद्ध परिवहन उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति, उसी क्रम में की जाएगी जिस क्रम में उनके नाम आए हों।</p>								

स्कीम के अधीन परिवहन उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त लिपिकवर्गीय कर्मचारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उपरोक्तानुसार तैयार की गई अंतिम चयन सूची में दी गई ज्येष्ठता पर आधारित होगी।
चयन सूची, विभाग द्वारा उसे जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी।

1-9 फय[क्र ijh{kk dk fooj.k %&

मण्डल द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न-पत्र 100 अंको का तथा 02 घण्टे की अवधि का होगा। प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम. आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा। परीक्षा में प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों माध्यम में रहेगा।

अभ्यर्थियों को सफल होने के लिए प्रत्येक प्रश्न-पत्र में विभागीय नियमानुसार कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। प्रश्न पत्रों के विषय एवं अंको का विवरण निम्नानुसार है:-

प्रश्न पत्र	विषय	अंक	कुल अंक	परीक्षा का स्तर
प्रथम	सामान्य ज्ञान	20	100	बारहवी (10+2) / हायर सेकेण्डरी स्तर या समकक्ष
	सामान्य हिन्दी	20		
	सामान्य अंक गणित	40		
	सामान्य कम्प्यूटर	20		
द्वितीय	शासकीय सेवा से संबंधित नियमों का ज्ञान	40	100	शासकीय विभागीय नियमावली / पाठ्यक्रम अनुसार
	परिवहन पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान	20		
	विभाग से संबंधित अधिनियम तथा नियमों का ज्ञान	40		
dy vd%&		200		

1-10 ijh{kk ifj.kke%&

अभ्यर्थियों की परीक्षा की प्रावीण्य सूची मण्डल द्वारा परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी। परिवहन विभाग द्वारा चरित्रावली के आधार पर दिये गये अंको को लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको में समाहित करते हुए अंतिम परीक्षा परिणाम परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जावेगा।

1-11 i æk.k&i =ka dk I R; ki u%&

मण्डल द्वारा तैयार प्रावीण्य सूची के आधार पर परिवहन उप निरीक्षक पद पर विभाग द्वारा योग्य पाए गए अभ्यर्थियों/कर्मचारियों के समस्त दस्तावेजों का परीक्षण/सत्यापन विभाग द्वारा किया जायेगा।

1-12 emy fuokl h i æk.k&i =%&

वर्तमान में कार्यरत विभागीय लिपिकीय कर्मचारियों के लिये विभागीय सीमित चयन परीक्षा होने के कारण मूल निवासी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं।

1-13 ifjoh{kk vof/k%&

इस स्कीम के अधीन नियुक्त किए गए प्रत्येक कर्मचारी को 02 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। इस कालावधि के दौरान उसे पद के लिए विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षा, यदि विहित की गई हो तो, उत्तीर्ण करना होगी। यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान कोई कर्मचारी परिवहन उप निरीक्षक के पद के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाए तो उसे उसके मूल लिपिकवर्गीय पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा। लिपिकवर्गीय पद पर प्रत्यावर्तित होने पर ऐसे प्रत्यावर्तित कर्मचारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि के दौरान की गई सेवा की कालावधि को उसके लिपिकवर्गीय पद पर व्यतीत की गई सेवा की कालावधि के रूप में माना जाएगा।

1-14 $\forall h; f f k i r k @ p; u d s l c a k e a f u g i r k, \forall @ t k u d k j h \% \&$

- (क) लिखित परीक्षा में पररूपधारण (इम्प्रसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूपधारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा से अयोग्य घोषित किये जायेंगे।
- (ख) कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है अथवा जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।
- (ग) मानसिक रूप से अस्वस्थ आवेदक को अयोग्य माना जायेगा।
- (घ) फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो अन्य कोई विवाद की स्थिति में सेवा से पृथक किया जावेगा एवं कोई अपील मान्य नहीं होगी।
- (ङ) अभ्यर्थियों के रूपर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधान लागू होंगे।
- (च) अभ्यर्थी द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र एवं कण्डिका क्रमांक 1.7 में दी गई जानकारी का परीक्षण विभाग द्वारा किया जावेगा। परीक्षण उपरांत विभाग द्वारा दी गई अंतिम सूची के आधार पर व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की जायेगी।

1-15 $; k = k 0; ; d k H k q r k u \% \&$

लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले किसी भी अभ्यर्थी को मण्डल द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।

1-16 $U; k; \{k s = @ v f / k d k j \% \&$

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जवाबदेह संबंधित विभाग होगा तथा इसका न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर तक सीमित होगा।

-----0-----

अध्याय – 2
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

- 2-1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- 2-2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।
- 2-3 **वकीलकी वकालत = हकजुस ध 0; 0LFkk %&**
- (1) , e-ih- वकीलकी ध 0cl kbM www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जायेगा।
- (2) मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग के अंतर्गत परिवहन विभाग में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से परिवहन उप निरीक्षक पदों हेतु एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क सेटर से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों द्वारा रू. 70/- पोर्टल शुल्क देय होगा।
- (3) प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि उसमें उल्लेखित आवेदन-पत्र क्रमांक का उपयोग कर मंडल की वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश-पत्र प्राप्त किया जा सके।
- 2-4 **वकीलकी वकालत = ds l kfk l ayXu fd; s tkus okys nLrkostka dk foofj .k %&**
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्केन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- (अ) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्केन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे।
- (ब) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को स्वयं की हस्तलिपि में दो लाईने स्केन करवाकर संलग्न करनी होगी। इस प्रकार हस्तलिपि के नमूने को 'रासा' पर प्रिंट किया जायेगा जिसका मिलान संबंधित वीक्षक द्वारा परीक्षा के दौरान आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकेगा।
- (स) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आठवी, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (द) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्केन करवाकर संलग्न करना होगा। अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये इसकी अनिवार्यता नहीं होगी तथा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह विकल्प आवेदन पत्र में प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।
- 2-5 **, d l s vf/kd वकीलकी वकालत = Hkjus l c/kh funrk %&**
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब

ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा। विकल्प "हॉ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी। ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।

2-6 वकील्यकु वकुनु i = ds l kfk Qks/ks , oa gLrk{kj l ayXu djus l ca/kh funf k%

- (i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को फोटो एवं हस्ताक्षर इमेज का मानक (Image size Min 30KB, Max 200KB, Height Min 200px, Max 300px, width Min 120px, Max 200px, DPI Min100, Max 300) अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें। उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (ii) फोटोग्राफ वकुनु Hkjus dh frfFk से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा Qks/kxkQ ij f[kpokus dh fnukd o vkond ds uke dk Li "V mYys[k gkuk pkfg; A
- (iii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रखा जाना होगा।
- (v) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (vi) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर परीक्षा हाल, काउंसिलिंग/चयन एवं प्रवेश के समय मान्य होंगे।

2-7 वकील्यकु वकुनु Hkjus ds l ca/k ea funf k %

2-7-1 ऑनलाईन आवेदन दिनांक 04.07.2015 से दिनांक 03.08.2015 की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। vkond }kjk Hkjs tkus okys vkonu i = ea jkT; , oa ftys dk fooj.k ehuv ds ek/; e l s iklr gksxA ftl l s Hkfo"; ea vko'; drkuđ kj jkT; , oa ftys dh vko'; d tkudkj iklr dh tk l dA igpku i = ds ehuv ea ernkrk igpku i =] i sudkM] vk/kkj dkM] Mk; foax yk; l d] Qks/ks Dr vadl ph rFkk ikl i kVZ dk iko/kku j [kk x; k gS ; fn vkond }kjk vU; igpku i = p; u fd; k tkrk gS rks og nLrkost dku l k gS bl dh tkudkj vfrfjDr l g&vkbMh ds : i ea inku djuh gksxA vkond dks vkonu i = ea 'kjhj ds LFkk; h fplg rFkk ijh{kk ds l e; i Lnr fd; s tkus okys Qks/ks igpku i = dk fooj.k rFkk Øekd vfuok; l : i l s vdr fd; k tkuk gksxA buds vHkko ea vkonu i = Lohdkj ugh gksxA ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

2-7-2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :- (अ) इंटरनेट केफे अथवा (ब) स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

bA/jus/ ds ek/; e l s vकील्यकु वकुनु QkeZ Hkjus dh fof/k %

2-7-2-1 आवेदक www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत **Application** क्लिक कर **Vyapam** लिंक के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग के अंतर्गत कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से परिवहन उप निरीक्षक पद पर सीमित विभागीय चयन परीक्षा-2014 परीक्षा से संबंधित में ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी **funf k@Instructions** तथा परीक्षा **fu; e@Examination Rules** उपलब्ध होंगे। निर्देशों

एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।

2-7-2-2 ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु **Link** के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईने, फोटो तथा हस्ताक्षर कर उसे स्कैन कर **jpg** फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (**Attach**) करें।

2-7-2-3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें। आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

- क्रेडिट/डेबिट कार्ड।
- इंटरनेट बैंकिंग।

2-7-2-4 **0fMV@MfcV dkmZ ds ek/; e l s i j h {kk 'kq/d dk Hkqkrku%&**

आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2-7-2-5 **bW/juW/ cfdx ds ek/; e l s i j h {kk 'kq/d dk Hkqkrku %&**

आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है। पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारियों की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा।

2-7-3 **, e-i h- vKllykblu fd; kld ds ek/; e l s vkonu Qkel Hkj us dh fof/k %&**

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारियों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा। कियोस्कधारक द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप भलीभांति भरकर देना होगा, जिसके आधार कियोस्कधारक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जावेगा। कियोस्कधारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें। भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकेगा।

2-7-3-2 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर **Unpaid Application** लिंक के उपयोग से शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा, ताकि ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने में यदि कोई गलती परिलक्षित होती है तो उसे अंतिम तिथि के बाद मुख्य पृष्ठ पर उल्लेखित संशोधन तिथियों के दौरान निर्धारित शुल्क का भुगतान कर ठीक किया/करवाया जा सकता है।

ukv/%& ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755-4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।

2-8 fu/kkfjr frffk ea tek fd, x, vkWlykbU vkonu i = ea l d kks/ku dh 0; oLFkk %&

ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार बिन्दुओं के आधार पर होगी:-

2-8-1 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की तिथि से अंतिम तिथि के बाद 05 दिवस rd dty 35 fnol स्वयं आवेदक द्वारा इन्टरनेट से अथवा एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यह सुविधा केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क राशि का भुगतान कर सफलतापूर्वक भरे गए आवेदन-पत्रों के लिए ही उपलब्ध होगी।

2-8-2 संशोधन हेतु fu/kkfjr 35 fnu dh vof/k में आवेदक द्वारा एक या एक से अधिक बार अपने आवेदन-पत्र में संशोधन किया जा सकेगा, जिसके लिए प्रत्येक बार आवेदक को संशोधन शुल्क रु. 100/- एवं पोर्टल शुल्क रु. 50/- का भुगतान एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा। इस प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का संशोधन किया जाता है, तो उसके द्वारा भुगतान की गई परीक्षा शुल्क राशि में से अजा/अजजा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जायेगी। परन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा अनु.जाति/अनु.जनजाति श्रेणी से अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है, तो उसे अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क राशि में पूर्व में जमा की गई राशि का समायोजन कर शेष राशि का भुगतान करना होगा।

2-8-3 इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदक को Vital Field अर्थात् नाम, पिता/माता/पति के नाम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा, अन्य प्रविष्टियों जैसे फोटो व हस्ताक्षर में संशोधन की सुविधा उपलब्ध होगी। संशोधन के लिए निर्धारित अवधि में स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर व जन्मतिथि का उपयोग कर अपने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा तथा ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक, ट्रांजेक्शन आई.डी. नंबर, व्यापम आवेदन-पत्र क्रमांक, मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

2-8-4 संशोधन के लिए निर्धारित समयावधि के पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा व किसी भी आवेदन पर मण्डल द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

2-9 vkWlykbU vkonu&i = dk fujLrhdj.k %&

एम0पी0 ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण मण्डल स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा। इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा। इस संबंध में मण्डल द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2-10 i jh{kk i D's k&i = (Test Admit Card) :-

नियमानुसार मान्य ऑनलाईन आवेदन-पत्रों के प्रवेश-पत्र (Test Admit Card-TAC) मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर दो भागों में उपलब्ध कराए जायेंगे। मण्डल की वेबसाईट पर जारी किया गया टेस्ट एडमिट कार्ड दो-भागों में जारी किया जायेगा जिसमें प्रथम भाग में आवेदक, परीक्षा का नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केन्द्र का विवरण इत्यादि समाहित होगा। अतिरिक्त रूप से इस भाग में आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गये शरीर के स्थायी पहचान चिन्ह तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र का विवरण तथा क्रमांक भी अंकित होगा।

मण्डल के टेस्ट एडमिट कार्ड के द्वितीय भाग पर आवेदक को पूर्व में प्रेषित ऑनलाईन आवेदन पत्र वाला फोटो लगाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर लाना अनिवार्य होगा अन्यथा

अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने के पात्रता नहीं होगी तथा इस प्रकार के अभ्यर्थियों को 'रासा' में अनुपस्थित अंकित किया जायेगा। परीक्षा के दौरान ही वीक्षक के समक्ष अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, बाये हाथ के अंगूठे का निशान तथा हस्तलिपि अंकित करना होगी। प्रवेश-पत्र पृथक से डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जायेंगे।

ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक का प्रयोग कर आवेदक अपना प्रवेश-पत्र मण्डल की वेबसाइट

www.vyapam.nic.in से मुद्रित कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। मुद्रित किए हुए प्रवेश-पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाईन आवेदन-पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2-11 लिखित परीक्षा केवल भोपाल शहर के परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। मण्डल अपनी सुविधानुसार परीक्षा शहरों/केन्द्रों में परिवर्तन, कमी या वृद्धि कर सकता है।

अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाईन आवेदन-पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का पोर्टल शुल्क रु. 70/- देय होगा।

2-12 प्रवेश-पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन। लिखित परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र के साथ साथ उनका फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे:- मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक द्वारा अन्य पहचान पत्र का चयन किया जाता है तो वह कौन सा दस्तावेज है इसकी जानकारी अतिरिक्त सह-आई0डी0 के रूप में प्रदान करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales एवं व्हाईटनर आदि पूर्णतः वर्जित है।

2-15 लिखित परीक्षा का विवरण :-

स.क्र.	परीक्षा	दिनांक	अवधि	समय	अधिकतम अंक
1.	प्रथम प्रश्न पत्र	23.08.2015 (रविवार)	02 घंटे	प्रातः 10:00 बजे से 12:15 बजे तक	100
2.	द्वितीय प्रश्न पत्र	23.08.2015 (रविवार)	02 घंटे	दोपहर 02:00 बजे से 04:15 बजे तक	100

परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

2-16 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :-

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :- निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :-

1/2 परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

1/4 अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

1/2 परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

- 1/2 1/2 परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
- 1/2 1/2 अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
- 1/2 1/2 अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला-बदली करना।
- 1/2 1/2 प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
- 1/2 1/2 नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- 1/2 1/2 सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- 1/2 1/2 सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- 1/2 1/2 परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोटपहुँचाना। उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा। विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।
- 1/2 1/2 परीक्षार्थियों द्वारा ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स में व्हाईटनर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। मण्डल कार्यालय को व्हाईटनर लगी ओ0एम0आर0 उत्तरशीट्स प्राप्त होने से इन्हे स्केनर द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है जिससे तकनीकी रूप से स्केनरर्स में परेशानी होती है तथा इस प्रकार की कार्यवाही परीक्षा नियमों के भी विपरीत है। अतः व्हाईटनर के प्रयोग वाली ओ0एम0आर0 उत्तर शीटों के ऐसे प्रकरणों को यू0एफ0एम0 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।
- 1/2 1/2 परीक्षार्थियों के विरुद्ध परीक्षा के पूर्व/दौरान/पश्चात परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जानें अथवा परीक्षा संबंधी आपराधिक प्रकरण में संलिप्ता पाये जाने पर परीक्षण उपरांत यू0एफ0एम0 मान्य करते हुए संबंधित परीक्षार्थियों की अभ्यर्थिता मण्डल स्तर से समाप्त की जावेगी।
- (ब) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य ऐसा कोई कार्य, प्रक्रिया अथवा प्रणाली जिससे परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता दूषित होती हो।

2.17 मूल्यांकन पद्धति :-

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर(Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero)अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2-18 = [viwki:tu] ml dk fujLrhdj.k , oa cnys ea fn; k x; k vrd %&

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैं :-

- 1- प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
- 2- प्रश्न की संरचना गलत हो।
- 3- उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
- 4- कोई भी विकल्प सही न हो।
- 5- यदि प्रश्न-पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
- 6- कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।

7- अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न-पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 098 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता है, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 100}{(100 - 2)} = 91.83 \text{ rounded off to } 92.00$$

नोट :- सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.19 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :-

प्रश्न-पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रारूप-2 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। बिन्दु क्रमांक 2.18 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न-पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ-साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम "की" (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी। आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

2-20 ijh{kk ifj.kke dk i'rk'ku %&

- (क) परीक्षा परिणाम घोषित होने के पूर्व मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ-साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise model answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।
- (ख) अध्याय-1 से 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर (श्रेणीवार तथा वर्गवार) मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी।
- (ग) दो अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जन्मतिथि के आधार पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
- (घ) परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध कराया जावेगा।

2-21 vad l'ph %&

इस सीमित चयन परीक्षा के सम्पन्न होने के बाद तथा परीक्षा का परिणाम मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड किया जावेगा। तदनुसार अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर परीक्षा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। डाक से परीक्षा परिणाम का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2-22 e-i' 0; kol kf; d ijh{kk eMy dk dk; / i'rk'ku ijh{kk dk l'pkyu , oaml dk ifj.kke ?kkf"kr djuk ek= gksxk %&

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2-23 U; kf; d {ks=kf/kdkj %&

परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

---0---

अध्याय – 3 लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

प्रथम प्रश्न पत्र

कुल 100 अंक

प्रश्न पत्र का स्तर :— बारहवी (10+2)/हायर सेकेण्डरी स्तर या समकक्ष

(1) सामान्य ज्ञान

(20 अंक)

सामयिक घटनाओं से संबंधित सामान्य जानकारी पर आधारित प्रश्न, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल तथा उससे संबंधित विषय, मध्यप्रदेश के संबंध में सामान्य जानकारी पर आधारित प्रश्न।

(2) सामान्य हिन्दी

(20 अंक)

भाषा बोध—

शब्द निर्माण— उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, भाव पल्लवन/भाव विस्तार, वाक्य – अशुद्धि संशोधन, वाक्य परिवर्तन, मुहावरे/लोकोक्तियों, समास विग्रह तथा समास के भेद, संक्षिप्तिकरण, भिन्नार्थक समोच्चरित शब्द, पारिभाषिक, तकनीकी शब्दों के प्रयोग, वाक्य भेद (रचना, अर्थ के आधार पर) वाक्य रूपान्तर, शब्द युग्म, बोली, विभाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मुहावरे/ लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग पर प्रश्न,

काव्य बोध—

काव्य की परिभाषा – भेद, मुक्तक काव्य, प्रबन्ध काव्य, (महाकाव्य, खण्डकाव्य), रस – परिभाषा, अंग, भेद और उदाहरण, अलंकार— वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, छन्द— गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला, रोला, रस परिचय, अंग, रस भेद— उदाहरण सहित अलंकार, छंद, काव्य की परिभाषा एवं काव्य के भेद काव्य गुण, क्षेत्रीय बोली—पहेलियाँ, चुटकुले, लोकगीत, लोक कथाओं का परिचय तथा खड़ी बोली में उनका अनुवाद ।

(3) प्रारंभिक अंक गणित

(40 अंक)

गुणा, भाग, दशमलव, भिन्न, प्रतिशतता, लाभ और हानि, औसत, क्षेत्रफल, आयतन, परिणाम, अनुपात।

(4) कम्प्यूटर पर कार्य करने का व्यावहारिक ज्ञान

(20 अंक)

माइक्रोसाफ्ट वर्ड, पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल, इंटरनेट व ई-मेल।

द्वितीय प्रश्न पत्र

कुल 100 अंक

(1) शासकीय सेवा से सम्बन्धित नियमों का ज्ञान

(40 अंक)

वेतन, भत्ते, अवकाश, सामान्य भविष्य निधि स्कीम से संबंधित नियमों का प्रारंभिक ज्ञान, सेवा में भरती से संबंधित नियमों का सामान्य ज्ञान, सरकारी सेवकों के आचरण से संबंधित नियमों का प्रारंभिक ज्ञान।

(2) परिवहन पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान

(20 अंक)

वभाग में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न परिवहन पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, जिसका कोई विशेष अर्थ होता है।

(3) विभाग से संबंधित अधिनियम तथा नियमों का ज्ञान

(40 अंक)

(क) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) तथा उसके अधीन बनाए गए विभिन्न नियम

(ख) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989

(ग) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991)

(घ) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991

(ङ) मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994

ik: i&1

(देखें नियम 2.18 एवं 2.19)

iz u&i fLrdk ds iz uk ds l cdk ea vH; konu
 %ukV& ; g ii = doy ijh{kkFkhZ }kjk gh Hkj dj fu/kkFjr l e; kof/k rd
 e.My dk; ky; ea mi yC/k dj kus ij fopkj {k= ea fy; k tk, xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

उपरोक्त परीक्षा के प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण है :-

1000	iz u Øekad	=fV dk fooj.k	l k{; ds : i ea iLrq nLrkost dk fooj.k	l ayXud Øekad

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

.....

आवेदक का नाम.....

...

स्थान

दिनांक

ik: i&2

(देखें नियम 2.18 एवं 2.19)

vkn'kz mRrjka ij vki fRr grq vH; konu
 %ukv& ; g i i = doy ijh{kkFkhz }kjk gh Hkj dj fu/kkFjr l e; kof/k rd e. My
 dk; ky; ea mi yC/k dj kus ij fopkj {ks= ea fy; k tk, xk ½

परीक्षा का नाम	
अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	
अभ्यर्थी का नाम	
अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र	
अभ्यर्थी का सेट क्रमांक	

मंडल की वेबसाईट पर प्रदर्शित सेट क्रमांक के आदर्श उत्तर में
 निम्नलिखित उत्तर त्रुटिपूर्ण है :-

I-Ø-	mRrj Øekd	vkn'kz dath ea inf'kir mRrj	vH; Fkhz ds vud kj mRrj	mRrj ds l eFku ea iLrqr nLrkost dk fooj.k	l ayXud Øekd

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

दिनांक

